रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-1430/2026/1462/22-02-2026-17(833)/2026

लखनऊ: दिनांक: 16 अक्टूबर, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कृपाराम(बन्दी सं0-304/2019) पुत्र श्री स्वामीनाथ, ग्राम-लक्ष्मनपुर, थाना-को0 नगर, जनपद-गोण्डा का निवासी है, जिसे एस0टी0नं0-197/1984 में धारा-302/149, 324/149, 147 आई०पी०सी० के अन्तर्गत मा० न्यायालय, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, गोण्डा के दण्डादेश दिनांक 31.07.1985 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ के आदेश दिनांक 08.12.2017 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए मा० सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक-15.02.2026 तक अपरिहार 08 वर्ष, 04 दिन तथा 09 वर्ष, 03 माह, 28 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट गोण्डा के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

संख्या-1430/2026/1462(1)/22-2-2026 एवं तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।

2- जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा।

3- पुलिस अधीक्षक, गोण्डा।

4- वरिष्ट अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार वाराणसी।

5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

6- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभय कुमार त्रिपाठी

अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।